20/1/13

संख्या–1276/8–3–13–173 विविध/12

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास
परिषद,लखनऊ।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण।

4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक: २० दिसम्बर, 2013

विषयः– उच्च (चिकित्सा) शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–2179/71–2–2013–सा–29/2012, दिनांक–20.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित शासनादेश के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना का विस्तार किये जाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme) लागू की गयी है, उक्त योजना में निजी निवेशकों के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन/सुविधाओं का विवरण उच्च (चिकित्सा) शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2179, दिनांक–20.06.13 में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय तथा तद्‌क्रम में निर्गत उपरोक्त शासनादेश के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित निम्न प्रोत्साहन सुविधायें अनुमन्य होंगी :–

(1) मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु एम.सी.आई द्वारा यथा समय निर्धारित मानकानुसार आवश्यक भूमि के लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क केवल रू0 1/–प्रतिवर्ग मीटर की दर से लिया जायेगा।

(2) भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01 माह के अन्दर सुसंगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों के अधीन निर्णय ले लिया जायेगा। हरित पट्टी, तालाब, पोखर आदि के कतिपय भू–उपयोगों का परिवर्तन मेडिकल कालेज के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) विकास शुल्क/मलवा शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क से पूर्ण छूट दी जायेगी।

भूमि तथा शुल्क सम्बन्धी दी जाने वाली सभी सुविधायें एम.सी.आई. द्वारा यथासमय निर्गत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता की सीमा तक लागू होंगी।

3– इस सम्बन्ध मे मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा जारी "Establishment of Medical College Regulations, 1999" (Amended Upto April,2010) में न्यूनतम क्षेत्रफल के संबंध में निम्न प्राविधान है :–

" The medical college or medical institution shall be housed in a unitary campus of not less than 20 acres of land except in metropolitan (New Delhi,

Mumbai, Kolkata, & Chennai) and 'A' class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune,Bangalore and Kanpur). However, this may be relaxed in a place especially in Urban areas where the population is more than 25 lakhs (other than the nine cities mentioned in the clause), hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Hill states and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep, where the land shall not be in more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than 10 Kms. The hospital, college building including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents and nurses shall be in one piece of land which shall not be less than 10 acres. Other facilities may be housed in the other piece of land, proper landscaping should be done."

मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा उक्त प्राविधानों में संशोधन करने पर भूमि तथा शुल्क सम्बन्धी दी जाने वाली सभी सुविधायें एम.सी.आई. द्वारा यथासमय निर्गत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता की सीमा तक ही लागू होगी।

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार सुविधा केवल निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु, सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना लागू होने के दिनांक 20.06.2013 से अनुमन्य होगी।

5— प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या--2801/8-3--2011--32एल.यू.सी./96,दिनांक--10.08.2011 केवल उक्त प्रस्तर--2-4 में वर्णित सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

6— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

30/12

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव,चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0।
5. निदेशक,आवास बन्धु,उ.प्र.,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एन0यादव)
अनु सचिव

RY-hp-G.O.

संख्या:- 1075/11-क0नि0-7-2013-700(563)/13

प्रेषक,

प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त एवं
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक : 07 नवम्बर, 2013

विषय:- उच्च(चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्सेटिव योजना लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-2179/71-2-2013-सा-29/2012 दिनांक 20 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च(चिकित्सा)शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने एवं प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना का विस्तार किये जाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। उक्त योजना में निजी निवेशकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन एवं सुविधाओं का विवरण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 20-06-2013 में किया गया है। यह योजना दिनांक 20-06-2013 से क्रियान्वित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित करने वाले इच्छुक संस्थाओं/आवेदकों को ''प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज तथा उससे संबंधित चिकित्सालय के लिए कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-305-11-2005 -500(136)-2003 दिनांक 19.01.2005 की अनुसूची के प्रस्तर संख्या- 8.2 (क) एवं 8.2 (च) में निहित व्यवस्थानुसार भूमि/स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दी जायेगी। शुल्क संबंधी दी जाने वाली सभी सुविधाएं एम0सी0आई0 द्वारा यथा समय निर्गत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता की सीमा तक लागू होगी।''

भवदीय,

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

संख्या-यथोक्त, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, लखनऊ।

2- विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-4196/71-2-2013-सा-29/2012 टी0सी0 दिनांक 15-10-2013

आज्ञा से,

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

संख्या–प्र.स.–279/एक–1–2013–20(23)/20

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ ::दिनांक 16 दिसम्बर, 20

विषयः– उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु इन्सें योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2179 71–2–2013–सा–29/2012 दिनांक 20.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 शासनादेश दिनांक 20.06.2013 द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्सा किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना का विस्तार कि जाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने निर्णय लिया गया है। अतः उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आक करने हेतु इन्सेटिव योजना को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भ व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा अन्य संगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा– का भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति के रूप में प्रयोग न करने हेतु विस्तृत दिशा नि शासनादेश संख्या–1192/एक–1–2012–24(2)/2012 दिनांक 24.12.2012 द्वारा सम मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को पूर्व में ही दिये जा चुके है।

कृपया उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या–प्र.ए.279(1) / एक–1–2013–20([illegible]) / 2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

संख्या–1182/24–ऊ0नि0नि0प्र0/13–79 (प्रकोष्ठ)/12

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2013

विषयः–उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–2179/71–2–2013–सा–29/2012 दिनांक 20 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने एवं प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना का विस्तार किये जाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है, उक्त योजना में निजी निवेशकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन एवं सुविधाओं का विवरण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2013 में किया गया है। यह योजना दिनांक 20.06.2013 से कियान्वित है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित करने वाले इच्छुक संस्थाओं/आवेदकों को "220/132के0वी0 के उपकेन्द्रों से 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 220/132के0वी0 उपकेन्द्र पर एक वे एवं 05 किलोमीटर तक डेडीकेटेड स्वतंत्र फीडर (33/11के0वी0) की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने पर सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम को उक्त पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त समस्त प्रस्ताव पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की संस्तुति तथा यथावश्यक इनर्जी टास्क फोर्स की उप समिति तथा इनर्जी टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज स्थापित करने वाले इक्ष्छुक संस्थाओं/आवेदकों द्वारा दिनांक 20 जून, 2013 से पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उपर्युक्तानुसार सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, उन प्रकरणों में भी यह सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

( संजय अग्रवाल )
प्रमुख सचिव

संख्या–1187 (1)/24–ऊ0नि0नि0प्र0/13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
(4) ऊर्जा अनुभाग–1 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भगत प्रकरण में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

( शिव श्याम मिश्र )
विशेष सचिव

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।**

संख्या–एम0ई0/नजारत/2013/752 लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2013

**::कार्यालय आदेश::**

शासनादेश संख्या–2179/71–2–2013–सा–29/2012 दिनांक 20 जून, 2013 के क्रम में उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है–

| | |
|---|---|
| 1– महानिदेशक | अध्यक्ष |
| 2– वित्त नियंत्रक | सदस्य |
| 3– संयुक्त निदेशक | सदस्य |
| 4– श्री मुदित कुमार सम्बद्ध अधिकारी | नोडल अधिकारी |

भवदीय

( के0के0 गुप्ता )
महानिदेशक।

संख्या–एम0ई0/नजारत/2013/753–54 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन अनुभाग–2
2– सम्बन्धित अधिकारीगण।

( के0के0 गुप्ता )
महानिदेशक।